291

(iii) RESTRICTIONS ON INTER-STATE TRADE.

थी रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): भ्रघ्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत **ग्रापातकालीन ग्रध्यादेश द्वारा बेकार बना**ये गये लोगों की तरफ़ इस सम्मानित सदन का ध्यान म्राकर्षित करना चाहता हूं । यह मध्यादेश 5 फरवरी, 1977 को व्यवहार में भाया । इस के द्वारा बम्बई, ग्रहमदाबाद, ग्वालियर भ्रौर कानपूर में कैसटर-सीड, भ्रलसी भौर सित्वर का जो व्यापार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के तेहत फार्वर्ड-मार्केट-कमीशन के सेन्टर' पर चलता था. उस को समाप्त कर दिया गया था। उस समय केन्द्रीय सरकार के तेहत लीगल व्यापार चार जगहों पर चलता था. लेकिन ग्रब इस ग्रध्यादेश के ग्रमल में ग्राने की वजह से सैकडों जगह ग्रवैध व्यापार चल रहा है ग्रौर सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। सैंकडों परिवार इस अध्या-देश से प्रभावित हैं, साथ ही साथ ग्रवैध व्यापार को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिल रहा है, वह एक विचारणीय सवाल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश भौर उत्तर प्रदेश की सरकारों ने दिल्ली की सरकार को बराबर इस बारे में लिखा है ग्रौर उन के ग्रधिकत प्रतिनिधियों ने संसद सदस्यों के माध्यम से तथा भ्रपनी प्रतिनिधि संस्थाभ्रों के माध्यम से सरकार को इस बारे में जान-कारी दी है । दांतवाला कमीशन की रिपोर्ट भी सरकार के समक्ष है। लेकिन श्रफसोस की बात यह है कि ग्रभी भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जोरदार प्रयास नहीं किया है। इस सम्मानित सदन के 34 लोकसभा सदस्यों ने भी इस ग्रध्यादेण की समाप्ति के लिये सरकार को लिखा है भीर बताया है कि इस भ्रध्यादेश के चलते, तमाम लोग बेकार हो रहे हैं ग्रीर ग्रवैध व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा है। म्रध्यक्ष महोदय, 13 महीनों में जो कुछ हुम्रा, वह बड़े दुख की बात है। काले दिनों में जो काला कानून बनाया गया, यह श्रावश्यक है कि सरकार तुरन्त उस कानून को वापस ले भौर जो भ्रवैध व्यापार चल रहा है भीर जो सैकडों रुपये का नकसान हो रहा है, शायद मंत्री महोदय इसके बारे में नहीं जानते हैं, मंत्री महोदय जी को इस की जान-कारी प्राप्त करनी चाहिये भौर निश्चित रूप से ऐसा कानुन बनाना चाहिये, जिस के द्वारा वैध व्यापार शरू हो स्रौर सर्वेध व्यापार रुक सके ।

Rule 377

(iv) REPORTED TAKING OFF OF AN AIR-BUS FROM BOMBAY AIRPORT IN VIOLA-TION OF SECURITY REGULATIONS.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): I rise to call the attention of this House to what I consider to be a very shocking incident which took place yesterday. It has been reported in press-today's Statesman carries the news-that an airbus took off from Bombay yesterday in complete violation of security regulations.

The security regulations with which the airlines are absolutely strict stiputhat unaccompanied should not be carried in the aircraft. The reason is so clear. An un-accompanied baggage can possibly contain a time-bomb or a grenade, some explosive something like that. Somebody can push it in and go away. If it is put in the aircraft, the aircraft may explode. It so happened that the baggage belonging to four passengers was in the aircraft and the aircraft took off without those four passengers. pilot knew that the aircraft was without those passengers and still took off.

The anti-hijack staff and the security staff took objection. It is reported that they informed the airlines and concontrol tower. tacted the has explained how got to be it is that the pilot took off. experience and some other members will also be having experience of Airbus being delayed for one or two hours. When an attempt was made to take off, the passengers protested that they would not travel by that air-